(33)

निग0- 446/2018/सतना/भू-रा0

258

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर (रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)

निगरानी प्रकरण क्रमांक ..../2018

सुकवरिया बेवा कंधीलाल लोहार (फौत)

1— देवनारायण पिता कंधीलाल लोहार

2— संखी पुत्री कंधीलाल लोहार

3— रामभुवन तनय कंधीलाल लोहार

4— प्रभुदयाल तनय कंधीलाल लोहार

5— सोमवती पुत्री कंधीलाल लोहार

6— रामजी तनय कंधीलाल लोहार

सभी निवासी ग्राम सिंहपुर, तह0 नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

———अपीलाण्टगण

अधि0 श्री आनंद कु0 पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत

बनाम्

हीरालाल तनय सुन्दरलाल लोहार निवासी ग्राम सिंहपुर, तह0 नागौद, जिला सतना म0प्र0

———रेस्पाडेन्ट

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह0 नागौद, जिला सतना म0प्र0, प्रकरण कमांक 24/अपील/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :—

यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश विधि प्रकिया एवं सहज न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पा0

देवनारायण रामभुवन प्रभुदयाल रामजी

33

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted] क्रमांक निग0/4216/2018/भू-रा0 जिला–सतना

शुकबरिया/ हीरालाल लोहार

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नगौद के प्रकरण क्रमांक 24/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	